<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032020-218972 CG-MH-E-31032020-218972

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] No. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

> बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मासंप्र विभाग) (बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर) अधिसूचना

मुंबई, 31 मार्च, 2020

- सं. बीसीसी/एचआरएम/ईएक्सई/112/275.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठनीय धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने एतद्द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति पश्चात निजी क्षेत्र की इकाइयों में सेवा स्वीकृति) विनियमन, 2001 को पुनः संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाया है अर्थात्:—
 - 1. (1) इन विनियमनों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति पश्चात निजी क्षेत्र की इकाइयों में सेवा स्वीकृति) विनियमन, 2020 कहा जाएगा.
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे.
 - 2. बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति पश्चात निजी क्षेत्र की इकाइयों में सेवा स्वीकृति) विनियमन 2001 में,
 - (i) उप विनियमन (6) के विनियमन 4 में निम्नलिखित उप विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-"(6) इन विनियमनों के तहत पारित सभी आदेशों के संबंध में संबन्धित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा.",

1646 GI/2020 (1)

(ii) विनियमन 4 के उपरांत निम्नलिखित विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा :-

"सक्षम प्राधिकारी - विनियमन 4 के तहत किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृति के उपरांत निजी क्षेत्र की इकाइयों में सेवा स्वीकार करने अथवा रोजगार लेने हेतु स्वीकृति देने अथवा ना देने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार होंगे:

स्तर	सक्षम प्राधिकारी
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - I	महाप्रबंधक अथवा मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र)
मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान- II एवं III	
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान वेतनमान - IV	
सहायक महाप्रबंधक श्रेणी वेतनमान - V	मानव संसाधन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक
उप महाप्रबंधक श्रेणी वेतनमान - VI	
उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VII	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान - VIII	

दविंदर पाल ग्रोवर, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./525/19]

नोट: भारत सरकार के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या एचओ:ओएसआर एंड आई आर:ए/5/6/1196 दिनांक 29.09.2001 द्वारा महत्वपूर्ण विनियमन प्रकाशित किए गए एवं अधिसूचना संख्या बीसीसी/एचआरएम/ आइएल/105/9355-ए दिनांक 27 सितंबर, 2013 द्वारा पिछली बार संशोधित किए गए।

BANK OF BARODA

(HRM Department)

(BARODA CORPORATE CENTRE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st March, 2020

No. BCC:HRM:EXE:112/275.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with subsection (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Baroda, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations 2001, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the Bank of Baroda Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) (Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Bank of Baroda Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations, 2001,
 - (i) In regulation 4, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(6) Every order passed by the Bank under these Regulations shall be communicated to the person concerned.",
 - (ii) After Regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:-
 - "5. Competent Authority The competent Authority for granting or refusing permission for acceptance or taking up any employment in private concern after retirement, by an officer employee under Regulation 4, shall be as given in the table below:-

LEVEL	COMPETENT AUTHORITY
(1)	(2)
Junior Management Grade Scale –I Middle Management Grade Scale – II and III Senior Management Grade Scale – IV	General Manager or Chief General Manager (HR)
Senior Management Grade Scale – V Top Executive Grade Scale – VI	Executive Director heading HR
Top Executive Grade Scale – VII Top Executive Grade Scale – VIII	Managing Director & Chief Executive Officer

DEVINDER PAL GROVER, General Manager

[ADVT. III/4/Exty./525/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification No. HO:OSR&IR:A/5/6/1196 dated 29.09.2001 and last amended *vide* notification No. BCC/HRM/IL/105/9355-A dated 27th September, 2013.